न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 310/17 (RCMS No. 2017/00331) (76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

मदन मोहन पुत्र गेन्दी लाल जाति ब्राहमण निवासी अनियाला तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश चन्द पुत्र मोती लाल जाति ब्राहमण निवासी अनियाला तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 18.09.2014

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील रैस्पो सं0 1

निर्णय **दिनांक :–29.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 18.09.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामा0 सं0 37 भवान्या वल्द कोरया ब्रा0 के फौत होने पर उसकी विरासत मदन वल्द गैंदी लाल के नाम तहसीलदार खण्डार द्वारा दिनांक 20.03.63 को तस्दीक की गई। इस आदेश के विरूद्ध रमेश चन्द ने एक अपील इस आशय की पेश की थी कि कोरया के दो लड़के भवान्या उर्फ भवानी व जगन्या उर्फ जगन्नाथ थे। भवान्या लाबल्द बिना औरत फौत हो गया। जगन्या के दो लड़के मोती लील व रामकुवांर थे। जिनमें रामकुवांर निसंतान फौत हो गया। अपीलान्ट मोतीलाल का पुत्र है। मृतक भवान्या की सेवा सुश्रुषा अपीलान्ट के पिता मोतीलाल ने की थी। क्योंकि मृतक भुवान्या ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के पिता को गोद ले लिया था। भुवान्या की मृत्यु हो जाने पर उनके किया कर्म अपीलान्ट के पिता मोती लाल ने ही किये थे। विरासत का नामा0 मोतीलाल के नाम ही दर्ज किया जाना चाहिये था। नामा0 मोतीलाल के नाम ही भरा गया था किन्तु मदन लाल ने फर्जी तरीक से अपने नाम अंकन कराकर नामा0 तस्दीक करा लिया। उक्त नामा0 ग्राम सभा के समक्ष पेश नही किया गया। तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया हैं, जो विधि सम्मत् नही है। तहसीलदार का आदेश नियम विरूद्ध है जिसके निरस्त कराने के लिये कोई समय सीमा नही है। अतः अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आराजी का नामा0 अपीलान्ट रमेश के नाम दर्ज किया जावे। रैस्पो0 मदन ने जबाब पेश किया कि अपील 50 वर्ष बाद पेश की है। पूर्व में दिनांक 06.07.78 को अपील पेश की थी जो दावा विचाराधीन होने से अपील का निर्णय दावे के निर्णय के साथ पारित करने के लिये रिजर्व रखा गया था। रमेश ने भुवन्या का उत्तराधिकारी होने का कोई

सबूत पेश नही किया है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर यह माना कि भुवान्या के वारिसान की जॉच नही की गई है। इसलिये अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार खण्डार को भुवान्या के जायज वारिसान की जॉच कर नियमानुसार विरासत का नामा0 दर्ज करने का निर्णय पारित किया। इस निर्णय के विरूद्ध मदन मोहन ने यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित नामा0 के विरूद्ध रैस्पो0 ने दिनांक 06.07.78 को अपील पेश की थी जिसका निर्णय दिनांक 03.05.79 को हो गया था और नामा0 की अपील खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध रैस्पो0 ने कोई अपील पेश नही की है। विवादित आराजी भुवान्या जो अपीलान्ट का नाना था, से प्राप्त की है तथा जिसके बाद अपीलान्ट ने जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये लाखों रूपये खर्च किये थे। कुछ भूमि का बेचान भी किया था जिस पर क्रेताओं का कब्जा है। उनका तर्क है कि पूर्व में दावा सं0 276/83 चला था, जो अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध कोई कार्यवाही रैस्पो0 ने ही की है। पूर्व दावे के तथ्य को छिपाकर दूसरा दावा सहायक कलक्टर खण्डार के न्यायालय में पेश कर दिया जो विचाराधीन है। इस तथ्य को रमेश ने स्वीकार किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में समस्त रिकार्ड पेश किया था। सहायक कलक्टर के न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना खारिज हुआ है जिसमें अपीलान्ट का कब्जा माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन है। रैस्पो0 ने बिना कोई कारण बताये 20.03.63 के इतने पुराने आदेश को वही पक्ष जो पहले उसी आदेश की अपील करीब 37 वर्ष पूर्व पेश कर चुका और वह खारिज हो चुकी है उसी नामा0 की अपील पुनः मिथ्या शपथ पत्र लगाकर पेश कर दी है। उस तथ्य का उजागर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि रैस्पो0 के पिता मृतक मोती लाल ने भवान्या की सेवा सुश्रुषा की थी। भवान्या लाऔलाद था इसलिये उसने रैस्पो0 के पिता मोती लाल को गोद ले लिया था। विवादित आराजी पर रैस्पो0 के पिता की काबिज काश्त रहे थे विवादित आराजी का नामा0 मोती लाल के नाम ही दर्ज किया जाना चाहिये था पहले तो मोतीलाल के नाम ही नामा0 दर्ज किया गया था बाद में मोतीलाल का नाम काटकर रैस्पो0 मदन ने अपना नाम दर्ज कराकर नामा0 तहसीलदार से तस्दीक करा लिया। यह सब कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है। उनका तर्क है कि विरासत का नामा0 ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होना चाहिये था परन्तु अपीलान्ट ने तहसीलदार से मिलकर यह नामा0 अपने नाम तस्दीक करा लिया था। विरासत के सम्बन्ध में तहसीलदार ने कोई जॉच नही की, न ही किसी के बयान लिये, न ही किसी से पूछताछ की। गैर कानूनी तरीके से फर्जी तरीके से नामा0 तस्दीक कर दिया। उत्तराधिकारी की जॉच किये बिना नामा0 तस्दीक किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने जॉच के लिये आदेश पारित कर नामा0 निरस्त किया किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी के खातेदार भवान्या के फौत होने पर नामा0 सं0 37 मदन वल्द गैंदी के नाम तहसीलदार खण्डार द्वारा दिनांक 20.03.63 को तस्दीक किया गया था। भवान्या लावल्द औलाद फौत हुआ था। नामान्तरकरण सं0 37 पर दर्ज सजरा के अवलोकन से जाहिर है कि कोरया के दो पुत्र भवान्या व जगन्नाथ थे। जगन्नाथ का एक पुत्र मोती दर्शाया है। नामान्तरकरण भी भवान्या के ला औलाद फौत होने से मोती पुत्र जगन्नाथ के नाम भरा गया था जिसमें पटवारी ने कालम नं0 16 में रिपोर्ट की है कि भवान्या फौत हो गया है मोती इसका भतीजा है इसमें आज्ञा दी जावे। जिस पर

पटवारी व गिरदावर के हस्ताक्षर है। परन्तु बाद में मोती का नाम काटकर मदन वल्द गैंदी का नाम दर्ज किया गया है तथा तहसीलदार ने भवान्या के भानजे के नाम कब्जा बताकर दर्ज कर दिया। जबकि तहसीलदार को नामान्तरकरण दर्ज करने से पहले विधिक वारिसान की जॉच करानी चाहिये थी। वारिसान की जॉच के बाद ही नामान्तरकरण पर कोई आदेश दिया जा सकता था। तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश विधि सम्मत् नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने भुवान्या के जायज वारिसान की जॉच कर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही के लिये रिमाण्ड किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.09.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official